संख्याः– 786/उन्नीस–1–2009–205/2002

प्रेषक,

विजय शंकर पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सूचना अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 16 जून, 2009

विषयः–**उ0प्र0 राज्य मुख्यालय पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने हेतु निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांत–2008 में प्रस्तावित संशोधन की स्वीकृति दिए जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0:389/सू0एवंज0सं0वि0(प्रेस)–2009, दिनांक 26 फरवरी, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त संबंध में आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर उच्च स्तर से निर्णयोपरांत शासनादेश संख्या–1083/उन्नीस–1–2008–205/2002, दिनांक 4 जुलाई, 2008 में निम्नानुसार संशोधन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

3– उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 4 जुलाई, 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

विद्यमान प्राविधान	संशोधन
5.1 उ0प्र0 सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जो राज्य मुख्यालय पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता देने का कार्य इन मार्गदर्शिका के प्राविधानों के अनुरूप करेगी।	5.1 उ0प्र0 सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जो राज्य मुख्यालय पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता देने हेतु संस्तुति करने का कार्य इस मार्गदर्शिका के प्राविधानों के अनुरूप करेगी।
5.2 उ0प्र0 प्रेस मान्यता समिति में सूचना निदेशक अध्यक्ष होंगे और अन्य 19 सदस्य होंगे जो इन दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रेस मान्यता हेतु अन्यथा पात्र हों।	5.2 उ0प्र0 प्रेस मान्यता समिति में सूचना निदेशक अध्यक्ष तथा न्यूनतम उपनिदेशक सूचना स्तर का अधिकारी सचिव होगा एवं अन्य 19 सदस्य होंगे जो इन दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रेस मान्यता हेतु अन्यथा पात्र हों।
5.3 प्रेस मान्यता समिति का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 2 वर्ष होगा। प्रेस मान्यता समिति की बैठक 3 महीने में एक बार होगी। आवश्यकता पड़ने पर उसे पहले भी आयोजित किया जा सकता है।	5.3 प्रेस मान्यता समिति का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 2 वर्ष होगा। प्रेस मान्यता समिति की बैठक सामान्यतया 3 महीने में एक बार होगी, आवश्यकता पड़ने पर उसे पहले या बाद में भी आयोजित किया जा सकता है।
5.5 मान्यता समिति की एक स्थायी समिति बनायी जायगी जिसमें ऐसे 5 सदस्य लिये जायेंगे जिनका निवास लखनऊ में होगा, जो तात्कालिक आवश्यकता के प्रकरणों पर निर्णय ले लें। इस समिति के द्वारा लिये गए सभी	5.5 मान्यता समिति की एक स्थायी समिति बनायी जायगी जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव सहित कुल 5 सदस्य होंगे, जिनका निवास लखनऊ में होगा, जो तात्कालिक आवश्यकता के प्रकरणों पर निर्णय लेंगे। इस समिति के

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

निर्णय मान्यता समिति की प्रथम बैठक में अनुमोदन हेतु रखे जायेंगे।	द्वारा लिये गए सभी निर्णय मान्यता समिति की प्रथम बैठक में अनुमोदन हेतु रखे जायेंगे।
6.3 मान्यता प्राप्त करने से किसी मीडिया प्रतिनिधि को कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होगा। यह केवल इस बात का प्रमाण है कि पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं।	6.3 मान्यता प्राप्त करने से किसी मीडिया प्रतिनिधि को कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होगा। यह केवल इस बात का प्रमाण है कि मीडिया प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं।
6.10 मान्यता समिति को मान्यता स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस मामले में उसका निर्णय अन्तिम होगा।	6.10 मान्यता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों को इस मार्गदर्शिका के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक सूचना में निहित होगा, लेकिन मान्यता समिति की संस्तुति को अस्वीकार करने की दशा में निदेशक सूचना को सकारण आदेश पारित करना अनिवार्य होगा।
21. मण्डल, जिला एवं तहसील स्तर की मान्यताओं के नवीनीकरण का अधिकार निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश को होगा जो आवश्यकतानुसार इसे जिलाधिकारी/सूचना विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी को प्रतिनिधानित कर सकेंगे। मान्यता निरस्त करने का अधिकार प्रेस मान्यता समिति के पास सुरक्षित रहेगा।	21. मण्डल, जिला एवं तहसील स्तर की मान्यताओं के नवीनीकरण का अधिकार निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश को होगा, जो आवश्यकतानुसार इसे जिलाधिकारी/सूचना विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी को प्रतिनिधानित कर सकेंगे। मान्यता निरस्त करने का अधिकार निदेशक सूचना के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रेस मान्यता मार्गदर्शिका–2008 में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित अर्हतायें:–

विद्यमान प्राविधान	संशोधन
परिशिष्ट–1 बिन्दु–सी–1 टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन/ टेलीकास्ट आर्गनाइजेशन टेलीविजन/रेडियो न्यूज प्रोडक्शन आर्गनाइजेशन जिन्होंने चैनल/स्टेशनों से एअर टाइम ले रखा हो।	इनके द्वारा प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का समाचार बुलेटिन/कार्यक्रम सेटेलाइट चैनल पर प्रस्तुत किया जाता हो।

भवदीय,

19/6

(विजय शंकर पाण्डेय)
प्रमुख सचिव

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com